

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. ५५४८ / एफ-१-१२०/३१ / एस-२/२०१८,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २८/०९/२०१८

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसीवा की कोल्हान नाला पर कपसदा स्टापडेम योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-३३६ / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / २०१८ / ११९६५, रायपुर, दि. ११.०७.२०१८.

राज्य शासन एतद द्वारा रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसीवा की कोल्हान नाला पर कपसदा स्टापडेम योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. २८४.५६ लाख (रूपये दो करोड़ चौरासी लाख छप्पनहजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं कृषकों के स्वयं के साधन से 45 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४५-लघु सिंचाई निर्माण कार्य, ४७०२ लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०२}-भूतल जल, ०१०१ राज्य आयोजना (सामान्य), (५०५९) एनीकट/स्टापडेम का निर्माण #२६ निर्माण कार्य-००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १०.०९.२०१८ द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खस्स)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


(६) जल संसाधन विभाग

२०१९

पृ. क्र. ६५४/१ / एफ-१-१२०/३१ / एस-२/ २०१८,
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक २८/०९/२०१८

१. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
२. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
३. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
४. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
५. विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
६. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
७. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
८. कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
९. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
१०. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
११. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
१२. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट रेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
१३. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर।
१४. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
१५. आदेश फोल्डर।



संयुक्त संघीय
छत्तीसगढ़ शासन
१ जल संसाधन विभाग
२८/९